



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.998**

**मद/FOR ITEM: रबड सीलिंग रिंग पार्ट सं.डीसीएमके-8ए-01**

**Rubber Sealing Ring Part No. DCMK-8A-01**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **पोलिमर एंटरप्राइस, ई-41, एम.आई.डी.सी, सतपुर, नासिक - 422 007** द्वारा उत्पादित पी वी-1 फ्लूरोकार्बन बेस रबड कांपौंड (टी ए सं.840) से विकसित **“रबड सीलिंग रिंग”** आरेखन सं.डीसीएमके-8ए-01 के अनुसार, ओवरहॉल के समय आरडी33 इंजन के इलेक्ट्रिकल सॉकेट सीटिंग एरिया में आईल लेवल इंडिकेटर में काम आता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कोरापूट), सूनाबेढा - 763 002 के समन्वय से टेस्ट विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल संख्या टीएस/501-2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न **“वर्गरिकार्ड कंप्लायंस स्टेटेमेंट”** में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

*This is to certify that the “Rubber Sealing Ring” bearing the Part No DCMK-8A-01, developed from PV-1Fluorocarbon Base Rubber Compound (TA No.840) and manufactured by M/s Polymer Enterprise, E-41 MIDC, Satpur, Nasik-422 007, is hereby approved for production as per drawing No. DCMK-8A-01, for use in Oil level indicator in electrical socket seating area of RD 33 engine during overhaul. It has been tested to test specification/schedule No.TS/501-2001, in co-ordination with RCMA (Koraput), Sunabeda – 763 002 It has met the requirements of specification /tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix -“A”.*

पृष्ठ/Page 01 of 02



2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2008 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा-763002 से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 30 June 2008 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Koraput) Sunabeda-763 002, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification,(CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 998

दिनांक/Date : 30 जून 2003

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)

22/05/03 22/5/03